आरक्षण सीमा निर्धारित करने के लिए विधेयक

1683. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

श्री अनन्त राम जायसवाल :

श्री दिग्विजय सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आरक्षण सीमा निर्धारित करने के संबंध में सभी राज्यों द्वारा एक समान पद्धति अपनाए जाने को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमाओं का उल्लंघन किए जाने और बढ़ाई गई आरक्षण सीमाओं को संविधान में शामिल करने हेतु सरकार पर दबाव डालने से रोकने के लिए कोई विधेयक लाने या कोई अन्य उपाए करने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आरक्षण प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्रों का है। सम्पूर्ण देश में आरक्षण की एक समान नीति चलाना सम्भव नही है। यह प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है कि संविधान के अनुसार समुचित विधिक उपाय करके नागरिकों के पिछड़े वर्ग को अपने संबंधित राज्य में मिल रही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करें। जहां कहीं भी राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है इसकी जांच प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

(ख)) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र की गोंवारी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

1684. **श्री जनार्दन यादव :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के "गोंवारी" तथा "माना" आदिवासियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने गोंवारी तथा माना समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। फिर भी इन समुदायों को महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल करने के लिए जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए है उनकी जांच कल्याण मंत्रालय में गठित सलाहकार समिति द्वारा की जा रही है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में जातियों तथा समुदायों को शामिल करने के संबंध में सभी अभ्यावेदनों की जांच कर रही है।

Drawing up of lists of OBCs by States

1685. SHRI S.S. AHLUWALIA :

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that some State Governments have drawn list of Other Back-I ward Classes (OBCs) in their respective